न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 79/2024

1. आसू सिंह पुत्र लादू सिंह जाति राजपूत निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. गोविन्द सिंह पुत्र लादू सिंह जाति राजपूत निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– वादीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 21.02.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा कोहिणा के खसरा सं. 1273/796 तादादी 3.2245 हेक्ट., खसरा सं. 1275/750 तादादी 5.1845 हैक्ट. कुल तादादी 8.4090 हैक्ट. हैं। जिसमें वादीगण की जाति दरोगा अंकित है जो गलत है, जबकि वादीगण कि जाति राजपुत सही हैं। जाति में भिन्नता होने के कारण वादीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीगण जमाबन्दी में अपनी जाति दुरूस्त करवाने चाहते है। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष वाद पत्र पेश कर रहे है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा कोहिणा के खसरा सं. 1273/796 तादादी 3.2245 हेक्ट., खसरा सं. 1275/750 तादादी 5.1845 हैक्ट. कुल तादादी 8.4090 हैक्ट. में वादीगण कि जाति राजपुत किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार ने अलग से कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादीगण को दावा साक्ष्य से साबित करने की हिदायत दी गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गोविन्दसिंह, रमेश कुमार, गिरधारीलाल के शपथ पत्र पेश किये गयें। संरपच ग्राम पंचायत कोहिणा ने वादीगण की जाति राजपुत होना पाया गया है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीगण के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान–पत्र से वादीगण कि जाति दस्तावेजीय राजपुत है।

उपर्युक्त वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही ग्राम कोहिणा के खसरा सं. 1273/796 तादादी 3.2245 हेक्ट., खसरा सं. 1275/750 तादादी 5.1845 हैक्ट. कुल तादादी 8.4090 हैक्ट. की वर्तमान जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि में वादीगण की जाति **दरोगा Delete** कर इसके स्थान पर **राजपुत** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कि जावे तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू